राजकीय निर्माण एजेन्सी

जी–4/5बी, सेक्टर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226010

फोन नं0–05222390150, 05222390151

(आई0एस0ओ0: 9001–2008)

पत्रांकः सी0158/सिविल/पंजी0/टी   दिनांकः 09 सितम्बर, 2020

सूचना

नोटिस संख्या सी0 58 दिनांक 01.07.2020 द्वारा फीडर लाइन, सब स्टेशन के कार्यो हेतु दिनांक–16.07.2020 तक आवेदन आमंत्रित किये जाने की सूचना दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं राष्ट्रीय सहारा तथा संस्था की वेबसाइट पर प्रकाशित की गयी थी, तदोपरान्त नोटिस संख्या सी0–76 दिनांक 16.07.2020 के माध्यम से आवेदन की तिथि दिनांक 23.07.2020 तक बढ़ाई गई। तत्पश्चात् नोटिस संख्या सी0–95 दिनांक 27.07.2020 के माध्यम से आवेदन की तिथि पुनः दिनांक 06.08.2020 तक बढ़ाई गयी, जिसकी सूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान तथा संस्था की वेबसाइट पर प्रकाशित की गयी है। तद्क्रम में फीडर लाइन, सब स्टेशन हेतु जारी पंजीकरण नियमावली में निहित नियम एवं शर्तो के अधीन निम्नलिखित आवेदनकर्ताओं को उपयुक्त पाया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	फर्म का नाम
1.	मेसर्स कृष्णा रेफ्रिजरेशन, जनपद–लखनऊ
2.	मेसर्स श्री प्रकाश शुक्ला, जनपद–बस्ती
3.	ए0जे0एन0 कान्ट्रेक्टर्स प्रा0लि0, जनपद–बुलन्दशहर

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित आवेदकों को वांछित आर्हतायें पूर्ण न करने के कारण अयोग्य पाया गया, विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	फर्म का नाम
4.	मेसर्स वेन्सर कान्सट्रक्शन कं0लि0, हैदराबाद
5.	सर्वेश्वरी इलेक्ट्रिक वर्क्स, जनपद–वाराणसी
6.	पूसा इन्फ्राटेक प्रा0लि0, दिल्ली
7.	मेसर्स एस–3 टेक्नो सेल्यूशन, जनपद–झांसी

नोटः–

1. क्रमांक संख्या–1 से 3 तक के आवेदनकर्ताओं के प्रपत्रों (एफ0डी0आर0, अनुभव, चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र आदि) का सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापन उपरान्त पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। सूचना जारी होने के 45 दिन के अन्दर यदि पंजीकरण प्रमाण पत्र हेतु किसी फर्म द्वारा प्रपत्रों के सत्यापन विषयक शपथ पत्र संलग्न प्रोफार्मा पर प्रस्तुत किया जाता है तो प्रोवीजनल पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा। यदि जारी किये गये पंजीकरण प्रमाण पत्रों का सत्यापन 03 माह के अन्दर प्राप्त नहीं होता है तो जारी किया गया प्रोवीजनल पंजीकरण प्रमाण पत्र, पत्रों के सत्यापन होने तक निलम्बित कर दिया जायेगा।
2. पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व यदि पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा डिमाण्ड ड्राफ्ट की वैधता समाप्त हो जाती है तो नया डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करने के उपरान्त ही प्रमाण पत्र जारी किये जायेगें।

3. क्रमांक संख्या–4 से 7 तक के आवेदनकर्ता जो वांछित अर्हताऐं पूर्ण न किये जाने के कारण पंजीकृत नहीं हो सके है, वे किसी भी कार्यदिवस में अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड/पेन कार्ड/पास पोर्ट) मूलरूप में प्रस्तुत कर पंजीकरण हेतु जमा पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर धनराशि (डिमाण्ड ड्राफ्ट तथा एफ0डी0आर0) मूलरूप में संस्था के मुख्यालय जी–4/5 बी, सेक्टर–4, गोमती नगर विस्तार लखनऊ से प्राप्त कर सकते है।

मुख्य अभियन्ता
यू0पी0आर0एन0एस0एस0,
लखनऊ।

पंजीकरण हेतु जमा किये गये प्रपत्रों के सत्यापन से सम्बन्धित

शपथ पत्र का प्रारूप

मै...पुत्र श्री .... निवासी (स्थायी पता)................................ ....(अस्थाई पता).. का निवासी हूं। मै शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करता हूं:–

1. यह कि मै फर्म मेसर्स.. का प्रो0/पार्ट0/डाय0 हूं।
2. यह कि मेरे द्वारा यू0पी0आर0एन0एस0एस0 के नोटिस संख्या.......................................दिनांक.......................... के क्रम में श्रेणी–............ के पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया था। जो कि पत्रांक.........................दिनांक........................ के क्रम संख्या............पर श्रेणी......... में उपयुक्त पाया गया है।
3. यह कि मेरा पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाये। मेरे द्वारा पंजीकरण फार्म के साथ जो प्रपत्र यथा चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, एफ0डी0आर0/डिमाण्ड ड्राफ्ट आदि जमा किये गये है। यदि उक्त प्रपत्रों में से भविष्य में किसी भी प्रपत्र के किसी भी स्तर पर असत्य/फर्जी पाये जाते है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी/फर्म की होगी।
4. यह कि उक्त पंजीयन हेतु जमा किये गये उपरोक्त वांछित प्रपत्रों के सत्यापन में असत्य/फर्जी पाये जाते है तथा उक्त पंजीयन पर संस्था में यदि कोई निविदा स्वीकृत होती है/निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है तो उक्त पंजीयन, निविदा, निर्माण कार्य स्वतः निरस्त समझा जायेगा। इस हेतु मुझे/फर्म को कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक

शपथी का पूरा हस्ताक्षर

पूरा नाम–

फर्म का नाम–

पता–

नोटः–

1. यह स्वघोषणा शपथ–पत्र रू0 100/– (सौ रूपये) के Stamp Paper पर नोटरी द्वारा सत्यापित कराते हुए दिया जायेगा।
2. असत्य शपथ–पत्र देना संगीन और संज्ञेय अपराध है।